न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 38/2025 बउनवानी सतीश शर्मा **बनाम** लो.सू.अधि.एवं उप पंजीयक खण्डार
पुत्र सियाराम शर्मा निवासी खण्डार

GCMS No-2025/131

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

17.6.2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 21.01.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा जारी पटटे जो उप पंजीयक खण्डार द्वारा पंजीकृत किये गये है 2013 से 2024 तक की प्रमाणित प्रति,पटटो की सूची इत्यादि की प्रमाणित सूचना"* तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सू.का.अ.(पंजीयन)/2025/58 दिनांक 21.5.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2025 मे चाही गयी सूचना के लिए तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार के पत्रांक पंजीयन/2025/54 दिनांक 25.2.2025 से अपीलान्ट को सूचना से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन कर सूचना चिन्हित करने बाबत लिखा जाने पर अपीलान्ट द्वारा 2013 से 2024 तक जारी पटटो का निरीक्षण कर कुल 910 पंजीकृत दस्तोवजो की प्रमाणित सूचना चाहे जाने पर अपीलान्ट को पंजीयन अधिनियम के प्रावधानानुसार कुल 2,09,300/—रू शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.01.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना, पर राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प. 20(84)पसु/सूअप्र/2009/पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अुनसार पंजीयन से संबंधित सूचना की फीस के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रावधान लागू न होकर पंजीयन अधिनियम के प्रावधान लागू है। अपीलान्ट द्वारा पंजीयन अधिनियम के तहत चाही गयी शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:15:01 IST
Reason: SelfAttested